M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION – 2019

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

Total No. of Questions : 12
कुल प्रश्नों की संख्या : 12

No. of Printed Pages : 4
मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 4

First Question Paper
प्रथम प्रश्न–पत्र
CIVIL LAW & PROCEDURE
व्यवहार विधि एवं प्रक्रिया

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all Questions must be given in one language either in Hindi or in English.

   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.

   उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. In case there is any mistake either or printing or of a factual nature, out of the Hindi and English versions of the question, the English version will be treated as standard.

   यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक त्रुटि हो, तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतरों में से अंग्रेजी रूपांतर मानक माना जायेगा।

4. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be considered.
   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No./ प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks/ अंक

CONSTITUTION OF INDIA
भारत का संविधान

1. Discuss the constitutionality of "Delegated Legislation". What are the limits of "Delegated Legislation" ? Explain.

   ''प्रत्यायोजित विधायन'' की संवैधानिकता का विवेचन कीजिये। ''प्रत्यायोजित विधायन'' की सीमायें क्या हैं। स्पष्ट करें ? 8

2. Explain principle of "Constitutional Morality". What are the necessary ingredients of this doctrine. Explain with relevant case laws.

   ''संवैधानिक नैतिकता'' के सिद्धान्त को स्पष्ट करें। उपरोक्त सिद्धान्त के आवश्यक अवयव क्या है ? सुसंगत न्यायिक दृष्टान्तो के साथ स्पष्ट करें ? 8

CIVIL PROCEDURE CODE, 1908
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

3. Whether the Court can dismiss a suit as being barred by order 2 rule 2 of the C.P.C. without such plea having been raised by the defendant ? Whether the merit and the validity of the second suit are relevant consideration for adjudication of such plea ?

   क्या प्रतिवादी के द्वारा इस आशय का कोई अभिवाक् न लिये जाने के बावजूद कि वाद आदेश 2 नियम 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता से बाधित है, न्यायालय वाद निरस्त कर सकता है ? क्या द्वितीय वाद के गुण–अवगुण एवं उसकी वैधता ऐसे अभिवाक का न्यायनिर्णयन करने के लिये विचारणीय है ? 8

4. Explain the power of remand of appellate court envisaged in order XLI- rule 23, 23A & 25 C.P.C. by giving the different examples.

   आदेश 41– नियम 23, 23A एवं 25 व्य.प्र.स. के अन्तर्गत अपीलीय न्यायालय के प्रतिप्रेषण की शक्तियों की परिकल्पना विभिन्न उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये? 8

TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882
संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882

5. Whether the transferee of a share of dwelling house belonging to a undivided family can claim for joint possession or other common or part enjoyment of house ?

क्या किसी अविभक्त परिवार से जुड़े निवास गृह का अंतरिती मकान के संयुक्त आधिपत्य, अन्य समान या आंशिक उपभोग का दावा कर सकता है ? 8

6. What would be the effect of redemption on a tenancy created by the mortagagee in possession ? Whether the tenant can file the suit claiming the protection of Rent Control Legislation / M.P. Accommodation Control Act, 1961 or the principle of Sec. 76(a) of T.P. Act, contending that acts done *bona fide and prudently* in the ordinary course of management ?

कब्जाधारी बंधकदार के द्वारा उत्पन्न की गयी किरायेदारी का बंधकमोचन पर क्या प्रभाव होगा। क्या किरायेदार किराया नियंत्रण अधिनियम/ मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 अथवा सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 76(क) के सिद्धान्त के अंतर्गत संरक्षण की मांग करते हुये दावा दायर सकता है कि प्रबंधन के सामान्य अनुक्रम में सद्भावनापूर्वक एवं प्रज्ञापूर्वक कार्य किये गये है? 8

INDIAN CONTRACT ACT, 1872
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

7. "A contract can not be enforced by a person who is not party to it, even though it is made for his benefit." Explain and point out the exceptions to this rule.

''एक संविदा ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रवर्तित नहीं कराई जा सकती है जो उसका पक्षकार नहीं है भले ही संविदा उसके लाभ के लिए हो।'' व्याख्या कीजिए और इस नियम के अपवादों को बताइये। 8

8. Can the State recover cost of training on failure of the defendant to join the service. Explain with relevant provision of law.

क्या प्रतिवादी की सेवा ग्रहण करने में विफलता पर, राज्य प्रशिक्षण की लागत को वसूल कर सकता है ? सुसंगत विधिक प्रावधानो के साथ व्याख्या कीजिए ? 8

SPECIFIC RELIEF ACT, 1963
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963
(Chapter I, II & VI to VIII)

9. Whether specific performance of contract can be claimed against a subsequent purchaser of property. If yes, what are the exceptions ?

क्या सम्पत्ति के पश्चातवर्ती क्रेता के विरूद्ध संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का दावा किया जा सकता है ? यदि हां, तो इसके अपवाद क्या हैं ? 8

LIMITATION ACT, 1963
परिसीमा अधिनियम, 1963
(Part II & III)

10. 'A' is a minor and is 16 years of age. 'B' forcibly dispossessed 'A' from his immovable property. 'A' brings a suit for possession of the property, 8 years after attaining the age of majority. State :- (1) What is the period of limitation prescribed for filing a suit for possession on the basis of title and when the period for limitation would commence? (2) Whether the suit filed by 'A' is barred by limitation under Section 8 of the Limitation Act?

'क' एक 16 वर्ष का अवयस्क है। 'ख' 'क' को बलपूर्वक उसकी अचल सम्पत्ति से बेदखल कर देता है। 'क' वयस्कता प्राप्त करने के 8 वर्ष पश्चात् कब्जा वापसी हेतु वाद दायर करता है। बताइये :– (1) स्वत्व के आधार पर आधिपत्य हेतु दावे की मियाद क्या है ? एवं मियाद की अवधि कब प्रारंभ होगी ? (2) क्या 'क' द्वारा दायर वाद परिसीमा अधिनियम की धारा 8 से वर्जित है ? 8

HINDU MARRIAGE ACT, 1955
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
(Sections – 5, 9, 10, 13A, 13B, 24 to 27)

11. What relief can be granted with regard to permanent alimony and maintenance, custody of children and disposal of joint property under Hindu Marriage Act 1955 ?

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत स्थाई निर्वाह निधि एवं भरण–पोषण, बच्चों के संरक्षण और संयुक्त संपत्ति के व्ययन के संबंध में क्या सहायता अनुदत्त की जा सकती है ? 8

MIXED
मिश्रित

12. **Write Short-notes on / संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये : -** 6+6= 12

(A) Directive Principles under the Indian Constitution ?

or

Fundamental Rights under the Indian Constitution ?

(अ) भारतीय संविधान के अन्तर्गत नीति निर्देशक तत्व ?

अथवा

भारतीय संविधान के अन्तर्गत मूलभूत अधिकार ?

(B) Difference between Revisional & Appellate Jurisdiction ?

(ब) निगरानी एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या अंतर है ?

****

M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION-2019

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 7
No. of Printed Pages : 7

Second Question Paper
द्वितीय प्रश्न–पत्र

WRITING SKILL, COURT PRACTICE, TRANSLATION AND CURRENT LEGAL KNOWLEDGE

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Please, adhere to the words limit of answers as specified in question paper and such violation may lead to minus marking.

   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जहाँ प्रश्न के उत्तर की शब्द–सीमा प्रश्न के साथ दी गई है, उसका अवश्य पालन करें। उल्लंघन पर ऋणात्मक मूल्यांकन हो सकता है।

.2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.

   उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. In case there is any mistake either or printing or of a factual nature, out of the Hindi and English versions of the question, the English version will be treated as standard.

   यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक त्रुटि हो, तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतरों में से अंग्रेजी रूपांतर मानक माना जायेगा।

4. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be considered.

   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

Q.1- Write an article in Hindi on any one of the following legal topics :
निम्नलिखित विधिक विषयों में से किसी एक पर हिन्दी में लेख लिखिए :
—20

(i) विधि की सम्यक प्रक्रिया ?
Due process of law

(ii) भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियाँ ?
Power of Parliament to amend the Constitution.

Q.2- Summarize the following legal passage into English (In 120 words)
निम्नलिखित विधिक गद्यांश का अंग्रेजी में संक्षिप्तीकरण कीजिए (120 शब्दों में): —20

For a lawyer a knowledge of the fundamental principles of law is undoubtedly necessary but it is equally necessary for him to have a clear mind quick grasp and analytic approach. He must have the capacity for grasping all the facts of the case in all their interrelations and implications comprehensively, without unnecessary labour be must be able to apply the fundamental principles and rules of law to the facts of the case before him. As Arthur T. Vanderbilt observed in this article on Forensic Persuasion, he must also have the knowledge of human nature in all its manifestations and an ability to get along with the people. He must have a comprehension of the economic, political and intellectual environments of modern litigation. He must have the ability to reason concerning the facts, the law, the personalities involved in the litigation and the environments of a case in such a way as to solve the pending problem in the most satisfactory way possible.

A lawyer must have the capacity to express himself clearly and intelligently. A good command over language is a great asset for him. A case resented in chaste language with moderation and clarity has a great effect on the judge. Over-statement, either of law or fact, must be avoided, under no circumstances he should deliberately make a wrong statement. Once a lawyer acquires a reputation for making wrong statements he becomes a suspect in the eye of the judge and he thereby impairs his capacity to persuade the judge.

It is good to know what a lawyer should be and what he should not be. But what is more important is what he does or he fails to do. That is also true of all professions. Circumstances do have their impact on a person's life. But if we leave aside those uncertain factors, everyone is an architect

of his own future. The prize is always for the brave. There must be a will of succeed, backed up by determination and followed up by preparation. There are men who have succeeded by sheer chance. But their number is few.

KNOWLEDGE OF CURRENT LEADING CASES

Q.3- Briefly state the principles of law or guidelines laid down by the Supreme Court in following cases. Out of given two options, you may choose one :-

निम्नलिखित मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धान्तों या मार्गदर्शक सिद्धान्तों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दिये गये दो विकल्पों में से आप एक चुन सकते हैं :–

3(a)	Supreme Court Advocates-on-Record Assn. *v.* Union of India, (2016) 5 SCC 1	**OR**	State (NCT of Delhi) *v.* Union of India, (2018) 8 SCC 501	**5**
3(b)	Subramanian Swamy *v.* Union of India, (2016) 7 SCC 221	**OR**	Kalpana Mehta *v.* Union of India, (2018) 7 SCC 1	**5**
3(c)	Vikas Yadav *v.* State of U.P., (2016) 9 SCC 541.	**OR**	Asian Resurfacing of Road Agency (P) Ltd. *v.* CBI, (2018) 16 SCC 299	**5**
3(d)	Modern Dental College & Research Centre *v.* State of M.P. (2016) 7 SCC 353	**OR**	Sunkamma *v.* S. Pushparaj, (2018) 12 SCC 647	**5**
3(e)	Sayyed Ratanbhai Sayeed *v.* Shirdi Nagar Panchayat, (2016) 4 SCC 631	**OR**	Indore Development Authority *v.* Shailendra, (2018) 3 SCC 412	**5**
3(f)	Indian young lawyers Ass. v. State of Kerala 2018 SCC online SC1690	**OR**	Navtej Singh Johar *v.* Union of India (2018) 10 SCC 1	**5**

Q.4(a)- Translate the following 15 Sentences into English :-
निम्नलिखित 15 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए :–

—15

(1) धारा 40 के अधीन प्रधान नियोजक की यह बाध्यता है कि वह प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में, चाहे वह सीधे उसके द्वारा अथवा किसी मध्यवर्ती नियोजक के द्वारा या उसके मार्फत नियोजित किया गया हो, नियोजक का अभिदाय और कर्मचारी का

अभिदाय, दोनों ही का संदाय करें।

(2) संहिता की धारा 128 (2) में सीमा तथा सर्वेक्षण चिह्नों की मरम्मत के प्रवर्तन पर चर्चा की गई है।

(3) दोनों याचियों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन पृथक् याचिकाओं द्वारा निर्वाचन मुल्तवी करने के निर्वाचन आयोग के आदेश तथा 28.12.94 को मतदान कराने के आदेश दिनांक 16.12.94 आक्षिप्त किए हैं।

(4) अतः नियम 23 के पठन मात्र से यह व्यापकतः स्पष्ट है कि नियम 21 के अधीन विहित समय–अनुसूची में आवश्यक संशोधन द्वारा निर्वाचन के लिए समय बढ़ाने की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है।

(5) वादी, वाद का नियंत्रणकर्ता होता है और उसे किसी ऐसे व्यक्ति को पक्षकार के रूप में जोड़ने के लिए विवश नहीं किया जा सकता जिससे वह लड़ता नहीं है और वह वर्तमान याची को संयोजित करने से इन्कार कर के आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के कारण वाद के खारिज किए जाने का जोखिम उठा सकता है।

(6) दावेदार के अनुसार, वह सड़क के किनारे भूमि पर पैर टिका कर खड़ा था जबकि अ.सा. 2 अमृतलाल के अनुसार मोटर साइकिल धीमी गति से आ रही थी तथा सड़क पर अपनी ओर थी।

(7) इनका अधिकरण द्वारा विश्वास किया गया है तथा वे अधिसंभाव्य प्रतीत होते हैं अतः उस साक्षी का विश्वास न करना उचित नहीं होगा, विशेषतः इस तथ्य को देखते हुए कि अधिकरण के पास साक्षी की भावभंगिमा देखने का अवसर था; अतः मोटर साइकिल की मरम्मत के लिए रू. 2,000/– तथा विशेष आहार व्यय, उपचार तथा परिवहन प्रभार के लिए रू. 6,284/– का अधिनिर्णय सही प्रतीत होता है तथा उसमें भी हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है।

(8) यद्यपि सरकारी यान में रोगी को ले जाना ड्राइवर का विवेकाधिकार है, तथापि उस समय वह यान खड़ा करने जा रहा था तथा उससे यह अपेक्षित था कि वह यान को वापस उस जगह ले जाए जहाँ उसे रखा जाना था।

(9) अतः पद "वास्तविक आवश्यकता" का अभिप्राय कुछ प्राप्त करने की इच्छा से कुछ अधिक है और आत्यंतिक आवश्यकता से बहुत कम है।

(10) इसी प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि वह गैर रिहायशी आवश्यकता का पक्षकथन सिद्ध करता है तब गैर रिहायशी भाग – जो स्थान भी है – से बेदखली आदिष्ट होगी।

(11) यह निवेदन किया गया था कि एक अशमनीय अपराध में समझौते की बात पर कम–से–कम, लघुतर दंडादेश अधिरोपित करने के लिए परिशमनकारी परिस्थिति के

रूप में विचार किया जाना चाहिए।

(12) इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि पहुँची क्षतियाँ गंभीर नहीं थीं किंतु वे घोर थीं क्योंकि वे चेहरों पर पहुँचाई गई थीं, कि पक्षकार पड़ोसी हैं और यह कि आवेदकगण न्यायालय की कार्यवाही के कारण, जो अब लगभग 14 वर्षो से चल रही है, पहले ही पर्याप्त कष्ट भोग चुके हैं, इस न्यायालय की राय है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आवेदकों पर अधिरोपित कारावास के दंडादेश को कम कर के, कारावास का जितना दंड वे भोग चुके हैं, उतना कर देने और जुर्मानों को कायम रखने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी।

(13) आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह प्रतिवाद भी है कि परिसर का अधिभोग अप्राधिकृत नहीं है और इस मामले में अंतर्ग्रस्त प्रश्न जटिल स्वरूप के हैं, अतः प्राधिकृत अधिकारी को लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने की अधिकारिता या प्राधिकार नहीं है तथा, परिणामस्वरूप विवाद के नए सिरे से न्यायनिर्णयन के लिए जिला न्यायाधीश द्वारा संपदा अधिकारी को प्रतिप्रेषण का आदेश अवैध है।

(14) ब्राउन शुगर के धूम्रपान के लिए तीन गोल लपेटे हुए कागज, जो उस (ब्राउन शुगर) में मैले हो गए थे, ब्राउन शुगर के धब्बे पड़े हुए 50 पैसे के दो सिक्के और रू. 56/– उस दियासलाई की डिबिया में पाए गए जो उस फुलपैंट की, जो अभियुक्त उस समय पहने हुआ था, गुप्त जेब से पाए गए थे।

(15) ऐसें विधायी परिप्रेक्ष्य में, सरकार के स्वामित्व की अथवा उसके द्वारा नियंत्रित कंपनियों अथवा निगमों के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के बीच कोई विभेद नहीं किया जा सकता था।

Q.4(b)- Translate the following 15 Sentences into Hindi :-
निम्नलिखित 15 वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए : —15

(1) Undoubtedly, under Section 103-A of the 1939 Act, if there was in existence an insurance policy covering the vehicle and the vehicle was transferred then there was no automatic transfer of policy of insurance but it was open to the transferor to apply in the prescribed form to the insurer for transfer of certificate of insurance before the transfer and, if within 15 days of receipt of such application by the insurer, such application had not been refused, the certificate of insurance and the insurance policy, were deemed to have been transferred in favour of the transferee.

(2) Section 6(c) of the General Clauses Act would hardly have any

application to a cause of action in favour of a person who was neither a transferor, nor the transferee of the insured vehicle.

(3) The date of birth of the prosecutrix as 29.11.1964, has been recorded concurrently by both the trial court and the High Court on consideration of the evidence of PW-1, Pandurang, father of the prosecutrix, and PW-13, Vimal, mother of the prosecutrix, corroborated by the age of the prosecutrix recorded in the date of birth register of Greater Bombay Municipal Corporation and the register of Kashibai Hospital, Santa Cruz, where the prosecutrix was born.

(4) If there was no established right of way by way of easement or otherwise and if there had been an apprehension in the mind of the accused that there was a threat of trespass in their land, indisputably they could exercise their right of private defence.

(5) The matter might have, thus, been otherwise if the prosecution could have established that the appellants have exceeded their right of private defence.

(6) The District Forum by order dated 17.10.2001 held that the price quoted was purely tentative and it was likely to be revised on the higher side by the time the houses are completed as there was clear condition to that effect in the advertisement.

(7) The High Court should have ignored the application and should not have put any emphasis thereon as verification of the records would have revealed that the payment had been made.

(8) In this case, we are concerned with the scope and extent of the beneficial consumer jurisdiction, particularly with regard to technical subjects falling under provisions such as the Electricity Act, 2003.

(9) Learned Counsel for the detenu submits that Section 3 (2) permits detention of a person by the Central Government or the State Government only if it is satisfied with respect to any person

that with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the security of the State or from acting in any manner prejudicial to the maintenance of public order or from acting in any manner prejudicial to the maintenance of supplies and services essential to the community, it is necessary so to do.

(10) Coming to the plea of waiver sought to be urged by the learned counsel for the appellant, I am afraid, the same can not be entertained at a second appellate stage for the first time for many fold reasons.

(11) The petitioner has contended before us that the State Police can not be entrusted with the investigation in this case, as the investigation already conducted by the State Police is biased.

(12) According to his report the death had occurred on account of toxacemic shock due to the rupture of intestine.

(13) He has invited attention to paragraph 50 of the judgment in which the learned Judge has duly recorded how the incident was originated and how from the reports of the doctor it was clear that there was liberal pelting of stones between the parties and it was not clear as to whose stone caused the injury in the abdomen of deceased Narwe Singh, if at all any injury was caused to him.

(14) It can not, however, be disputed that while deciding the rate of land for determining the compensation, several factors such as potentiality of land, its location, surroundings, prices of land sold in near proximity of the acquired land and appreciation of value of land at the rate 15% for every subsequent year can be taken note of.

(15) We are conscious of our duty to ensure that great care, caution and restraint is to be applied while entertaining such writs lest the jurisdiction is misused for personal gains or for publicity stunt under the garb of public interest litigation.

*****

M.P.HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION – 2019

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

Total No. of Questions : 12
कुल प्रश्नों की संख्या : 12

No. of Printed Pages : 6
मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 6

Third Question Paper
तृतीय प्रश्न–पत्र
CRIMINAL LAWS & PROCEDURE
अपराध विधि एवं प्रक्रिया

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all Questions must be given in one language either in Hindi or in English.

   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं।

.2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.

   उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. In case there is any mistake either or printing or of a factual nature, out of the Hindi and English versions of the question, the English version will be treated as standard.

   यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक त्रुटि हो, तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतरों में से अंग्रेजी रूपांतर मानक माना जायेगा।

4. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be considered.

   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No./ प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks/ अंक

INDIAN PENAL CODE, 1860
भारतीय दण्ड संहिता, 1860

1.(A) Whether a Hindu husband converting to Islam and marrying again with other woman will be guilty of bigamy ? Explain with relevant provision of IPC and case laws.

(अ) क्या एक हिन्दू पति मुस्लिम धर्म में परिवर्तन के उपरान्त यदि किसी अन्य स्त्री से दुबारा विवाह करता है, तब वह द्विविवाह का दोषी होगा ? भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित सुसंगत प्रावधानों एवं न्याय दृष्टान्तों के साथ स्पष्ट करें ? 4

(B) Point out the differences in the penal provisions of Part-I and Part-II of Section 304 and Section 304A of the IPC ? Answer by giving specific illustrations.

(ब) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के भाग I एवं भाग II तथा धारा 304ए में अंतरों को इंगित कीजिए। विशिष्ट दृष्टांतों द्वारा उत्तर दीजिए । 4

2. "Criminal sharing, overt or covert, by active presence or by distant direction making out a certain measure of jointness in the commission of the act is the essence of the theory of common intention". Critically examine the above statement by referring to leading decisions on the point.

"आपराधिक साझेदारी, गुप्त या प्रकट, सक्रिय उपस्थिति से या दूरस्थ निदेश द्वारा, जिससे कार्य के किये जाने में कतिपय माप की संयुक्तता का पता लगता है, सामान्य आशय के सिद्धान्त का सार है"। इस बिंदु पर प्रमुख निर्णयों को संदर्भित करते हुए उपरोक्त कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए । 8

3. (A) 'A' was surrounded by x,y,z and four unknown persons, who all were armed with lathi, axe and gandasa. All the aforesaid persons launched an attack on 'A', who sustained fracture of parietal and frontal bones of skull with other numerous injuries which all cumulatively could have caused his death and was hospitalized for a month. State the offences, which have been committed by the accused persons.

(अ) 'अ' को क,ख,ग व चार अज्ञात व्यक्तियों जो सभी लाठी, कुल्हाड़ी एवं गड़ासें से सज्जित थे के द्वारा घेरा गया। उपरोक्त सभी व्यक्तियों द्वारा 'अ' पर हमला किया गया जिसमें 'अ' को सिर के पार्श्विक एवं अग्रभाग में अस्थि भंग की चोट के साथ अनेक चोटें कारित हुई जिनके संचयी प्रभाव से 'अ' की मृत्यु हो सकती थी एवं 'अ' एक माह तक अस्पताल में भर्ती रहा।अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराधों को स्पष्ट करें। 4

(B) 'A', 'B', 'C', 'D' and 'E' broke into a house during night. 'A' and

'B' carried instruments useful for house breaking, 'C' and 'D' carried knives and 'E' a revolver. As 'C' was snatching a gold chain forcibly from an inmate, another inmate 'P' pointed a gun on him. Before 'P' could shoot, 'E' shot him dead. All the intruders escaped with the golden chain and other ornaments. Outside the house a neighbor 'N' attempted to catch hold of 'D' killed him by stabbing. What are the offences for these five may be charged ? Is it possible to plead the right of private defence with respect to killing of 'P'.

(ब) 'अ','ब','स','द', एवं 'य' रात्री में मकान में प्रवेश भेदन करते है 'अ' व 'ब' गृह भेदन हेतु उपयोगी उपकरण लिये थे। 'स' व 'द' चाकू व 'य' रिवाल्वर रखे थे। जब 'स' बलपूर्वक एक रहवासी की सोने की चैन छीन रहा था, दूसरे रहवासी 'प' ने उन पर बन्दूक तान दी। 'प' के द्वारा गोली चलाने के पूर्व ही 'य' ने 'प' को गोली मार दी। सभी आक्रामक सोने की चैन व अन्य जेवरों के साथ फरार हो गये। मकान के बाहर एक पड़ोसी 'न' ने उन्हे पकड़ने का प्रयास किया किन्तु 'द' ने उसे चाकू से मार डाला। इन पाँचों को किस अपराध के लिये आरोपित किया जायेगा। क्या 'प' की मृत्यु के सम्बन्ध में प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अभिकथन किया जाना संभव है ? 4

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

4. Can a Sessions Judge issue summons separately u/s 193 CrPc as a court of original Jurisdiction or will he have to wait till the stage u/s 319 CrPc was reached, in order to take recourse there to ?

   क्या एक सत्र न्यायाधीश द.प्र.सं. की धारा–193 के तहत् पृथक रूप से मूल क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय की तरह आदेशिका जारी कर सकता है या उसे द.प्र.सं. की धारा–319 के स्तर तक पहुंचने का इंतजार उस क्रम में वहॉ ले जाने के लिए करना होगा ? 8

5. How a Magistrate can exercise the power granted u/s 156 (3) CrPc, explain and differentiate it with power u/s 202 (3) CrPc in the light of case laws ?

   एक मजिस्ट्रेट किस तरह से द.प्र.सं. की धारा 156 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर सकता है, इसे स्पष्ट कीजिए और इसे द.प्र.सं. की धारा 202 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों से विभेदित कीजिए ? 8

6. What shall be the effect of following defects in a criminal trial? Explain referring to relevant provisions of Criminal Procedure Code.

   (a) The charge is defective.

(b) The prosecution evidence is closed after two or three opportunities leaving few important witnesses unexamined.

(c) Judgment of conviction and sentence delivered in absence of accused.

(d) After closure of defence evidence, certain important prosecution witnesses are summoned for being examined.

किसी आपराधिक विचारण में निम्न त्रुटियों का क्या प्रभाव होगा ? द.प्र.स. के सुसंगत प्रावधानों को उद्धृत करते हुये स्पष्ट करें–

(1) आरोप त्रुटिपूर्ण है।

(2) कुछ महत्वपूर्ण साक्षीगण को परीक्षित किये बिना ही दो या तीन अवसर प्रदान करने के उपरान्त अभियोजन साक्ष्य समाप्त कर दी गई।

(3) आरोपी की अनुपस्थिति में दोषसिद्धी व दण्डादेश का निर्णय पारित किया गया है।

(4) बचाव साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त कुछ महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षीगण परीक्षण हेतु समन किये गए हैं। 8

INDIAN EVIDENCE ACT, 1872
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

7. (A) "A" kills his father and himself lodged a First information report narrating the facts at the police station, he was prosecuted for murder on the basis of his own F.I.R. No other evidence was given. "A" subsequently did not plead guilty. Whether the statement of "A" contained in the FIR is admissible and can be basis for his conviction ?

(अ) "अ" ने अपने पिता की हत्या कर दी और खुद पुलिस थाने में तथ्यों को बयान करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, एवं उसकी खुद की प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर उसके खिलाफ हत्या के लिए मुकदमा चलाया गया। अन्य कोई प्रमाण नहीं दिया गया। बाद में "अ" ने अपराध के लिए दोषी होना अस्वीकार किया । क्या "अ" का कथन जो प्रथम सूचना रिपोर्ट मे हैं, स्वीकार्य है और क्या सजा का आधार हो सकता है? 5

(B) When a witness may be permitted to refresh his memory? Whether a doctor may be permitted to refer the medical books during examination in the Court for the purpose of refreshing his memory?

(ब) कब एक साक्षी को अपनी स्मृति ताजा करने की अनुमति दी जा सकती हैं ? क्या एक चिकित्सक न्यायालय में परीक्षा के दौरान अपनी स्मृति ताजा करने के प्रयोजन से चिकित्सा पुस्तकों को उद्घृत करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता हैं ? 3

8. What are the different kinds of presumptions? Discuss it in the light of the Evidence Act?

विभिन्न प्रकार की उपधारणायें क्या हैं, इसकी विवेचना साक्ष्य विधान के प्रकाश में कीजिए ? 8

9. (A) Explain the aspect of admissibility of electronic records and requirement of certificate u/s 65B evidence act and when such requirement can be relaxed ?

(अ) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों की ग्राह्यता के स्वरूप को स्पष्ट करें, तथा धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र की आवश्यकता को भी स्पष्ट करें तथा कब इससे छूट दी जा सकती है ? 4

(B) Explain the evidentiary value of multiple dying declarations ?

(ब) एक से अधिक मृत्युकालिक कथन के साक्ष्य संबंधी मूल्यांकन को स्पष्ट करें ? 4

NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

10. Can cognizance of offence punishable under section 138 of N.I. Act be taken on the basis of a complaint filed before the expiry of 15 days in view of clause (c) of provisio to section 138 of N.I. Act. If answer of aforesaid is in negative what is the option available to complainant narrate with relevant case law.

क्या धारा 138 के परन्तुक के खण्ड (ग) के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में धारा 138 N.I. Act के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में दायर परिवाद पर 15 दिवस की अवधि के समाप्ति के पूर्व अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है ? यदि उपरोक्त का जवाब नकारात्मक है तब परिवादी को उपलब्ध अन्य विकल्पों का सुसंगत न्यायदृष्टान्तो के साथ वर्णन करें ? 8

SC & ST (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT, 1989
अनु.जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

11. Explain the provisions of Sec. 3(2)(v) SC & ST (P.A.) act also explain the changes brought by 2016 amendment and whether this amendment has retrospective effect ?

धारा 3(2)(पांच) अनु.जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट करें, तथा यह भी स्पष्ट करें, कि 2016 के संशोधन के द्वारा क्या परिवर्तन लाया गया है, और क्या संशोधित प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव रखते हैं ? 8

MIXED
मिश्रित

12. **Write Short-notes on / संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये : -** **6+6=** 12

(A) Whether a prayer sending the cheque in dispute to a handwriting expert regarding examination of handwriting can be allowed although the signature is admitted by accused ?

(अ) क्या विवादित चैक की लिखावट की जाँच हस्तलेख विशेषज्ञ से कराये जाने संबंधी प्रार्थना स्वीकार की जा सकती है, हालांकि अभियुक्त ने चैक पर हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं ?

(B) Whether the accused can be enlarged on anticipatory bail under Sec.438 of the Cr.P.C if the offence is committed under 3(1)(XI) of the SC & ST (P.A.) Act ?

(ब) क्या अभियुक्त को धारा 3(1)(11) अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध में धारा 438 द.प्र.स. के अंतर्गत अग्रिम प्रतिभूति पर रिहा किया जा सकता है ? विवेचन कीजिए।

****

M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION-2019

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 20
No. of Printed Pages : 20

Fourth Paper
चतुर्थ प्रश्न–पत्र
JUDGMENT WRITING
निर्णय लेखन

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all Questions must be given in one language either in Hindi or in English.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. In case there is any mistake either or printing or of a factual nature, out of the Hindi and English versions of the question, the English version will be treated as standard.
यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक त्रुटि हो, तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतरों में से अंग्रेजी रूपांतर मानक माना जायेगा।

4. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be considered.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

SETTLEMENT OF ISSUES

Q.1 Settle the issues on the basis of the pleadings given hereunder and in light of provisions of the MP Accommodation Control Act, 1961 - - 10 Marks

PLAINTIFF'S PLEADINGS –

The plaintiff is the owner of the disputed shop situated in-front of D.B.Mall, MP Nagar, Bhopal. The defendant is the tenant in the disputed shop at monthly rent of Rs.700/-. The tenancy is oral and starts from 1st day of every calendar month and ends on the last day of the month. The defendant is the tenant from July, 2015 and is running a business in the name and style of 'Sachdeva Readymade Shop'. The son of the plaintiff is major and is aged about 20 years and is unemployed and is a post graduate youth. The plaintiff was working in a factory at Mandidweep. However, due to closure of the factory in the year 2012, he too has become unemployed. In order to earn livelihood, the plaintiff became agent of Life Insurance Corporation Limited. The plaintiff bonafidely requires the disputed shop for running his own business as well as for the business of his son for starting STD, PCO, Fax and Electrostat. The plaintiff does not have any alternative non residential accommodation within the limits of Municipal Corporation, Bhopal, and therefore, he is entitled to get vacant possession of the disputed shop. The defendant is habitual of committing default in payment of rent. The defendant is in arrears of rent from May, 2016, and plaintiff had issued a notice through his counsel on 14.10.2018, but the same was received back due to non availability of defendant. Therefore, another notice was sent through his counsel on 8.11.2018 by registered post, which has been received by the defendant on 12.11.2018 and by this notice, the plaintiff has demanded the arrears of rent as well as for handing over the vacant possession of the disputed shop. The defendant sent his reply on 28.11.2018, which was based on incorrect facts. After receiving the notice, the defendant had sent Rs.1,400/- by money order towards rent of two months, which was received by the plaintiff under protest, without prejudice to his rights. It was also pleaded that the defendant was in arrears of rent from May,2016, but it was falsely mentioned in reply that no rent is outstanding and he is sending the rent for the month of December,2016 and January, 2017.

Even if the rent of two months is adjusted towards the rent for the month of May and June 2016, it is clear that the defendant is in arrears of rent from July, 2016 and the defendant has not paid the same, even after receiving the notice. Thus, the plaintiff is entitled for decree of eviction on the ground of arrears of rent and also on the ground of bonafide requirement of the disputed shop, under Sec.12(1)(a) and 12(1)(f) of the M.P. Accommodation Control Act, for non-residential purpose.

DEFENDANT'S PLEADINGS –

The defendant filed the written statement and admitted that he is tenant of disputed shop. The defendant is in possession of the disputed shop as a tenant from the year 2016. The disputed shop was let out by Late Leelavati, the mother of the plaintiff on monthly rent of Rs.600/- The mother of the plaintiff had taken Rs.20,000/- by way of security. After the death of Leelavati, the plaintiff is collecting the rent and gradually the rent has been enhanced to Rs.700 per month. It was denied that the son of the plaintiff is major and is unemployed and post graduate. It was denied that the Factory at Mandideep was closed in the year 2012 and that the plaintiff had become unemployed after the closure of the Factory. The plaintiff is already running the business of Life Insurance Corporation Limited and U.T.I, in a shop, which is adjacent to the disputed shop and is also running the business of STD, PCO. That two more shops of the plaintiff are lying vacant and therefore, the bonafide requirement of the disputed shop for the son of the plaintiff as well as that of the plaintiff was denied. The defendant also denied that the plaintiff does not have any other alternative accommodation for non-residential purposes within the limits of Municipal Corporation, Bhopal. That the defendant is not in arrears of any rent. The plaintiff is in habit of issuing receipts as per his sweet will. The contents of notice dated 8.11.2018 were denied and it was pleaded that suitable reply to notice dated 8.11.2018 was sent on 28.11.2018. No rent is due. That on the first floor of the suit accommodation, a big shop is situated in which the clinic of Dr. Megha Jain was there, which was vacated by her in the year 2017 and has been again let out by the plaintiff to a Finance Company in the year 2017 itself after enhancing the rent. The advance amount of Rs.20,000/- which was taken by Late Leelawati, has not been adjusted towards the rent. The plaintiff is still having two vacant shops. The plaintiff was interested in

enhancing the rent from Rs.700/- per month to Rs.900/- per month and the suit has been filed in order to pressurize the defendant for enhancing the rent.

निम्नलिखित अभिवचनों एवं म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 के सुसंगत प्रावधानों के प्रकाश में विवाद्यक विरचित कीजिये।

<u>वादी के अभिवचन</u> –

वादी डी.बी.मॉल, एम.पी.नगर, भोपाल के सामने स्थित विवादित दुकान का स्वामी है। प्रतिवादी, विवादित दुकान में सात सौ रूपये मासिक की दर से किरायेदार है। किरायेदारी मौखिक है और प्रत्येक कलेन्डर माह के प्रथम दिन से प्रारंभ होती है और माह के अंतिम दिन समाप्त होती है। प्रतिवादी जुलाई 2015 से किरायेदार है और सचदेवा रेडीमेड के नाम से व्यापार चला रहा है। वादी का पुत्र वयस्क है और उसकी आयु 20 वर्ष है और वह बेरोजगार है और वह स्नातकोत्तर युवक हैं। वादी मण्डीदीप में फैक्ट्री में नौकरी करता था किन्तु वर्ष 2012 में फैक्ट्री के बन्द होने के कारण वह भी बेरोजगार हो गया। आजीविका चलाने के लिए वादी भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ता हो गया। वादी को विवादित दुकान की स्वयं एवं अपने पुत्र के एस.टी.डी., पी.सी.ओ., फैक्स एवं इलेक्ट्रोस्टेट का कारोबार करने के लिए सदभावी आवश्यकता है। वादी के पास भोपाल नगर निगम की सीमा के भीतर कोई वैकल्पिक गैर आवासीय स्थान नहीं है एवं इसलिए वह विवादित दुकान का रिक्त आधिपत्य पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी किराया संदाय करने में आदतन व्यतिक्रम कारित करने का आदी है। प्रतिवादी से मई 2016 से बकाया किराया है, और वादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 14.10.2018 को एक सूचना पत्र प्रेषित किया, परन्तु वह प्रतिवादी की अनुपलब्धता के कारण वापस प्राप्त हुआ था। इसलिए दिनांक 08.11.2018 को एक और सूचना पत्र अपने अधिवक्ता के माध्यम से पंजीकृत डाक से भेजा गया, जो प्रतिवादी को दिनांक 12.11.2018 को प्राप्त हुआ और इस सूचना पत्र के द्वारा वादी ने प्रतिवादी से अवशिष्ट (बकाया) किराया के साथ–साथ विवादित दुकान का रिक्त आधिपत्य मांगा। प्रतिवादी ने दिनांक 28.11.2018 को इसका जवाब दिया, जो गलत तथ्यों पर आधारित था। सूचना पत्र प्राप्ति के उपरांत प्रतिवादी ने मनीआर्डर द्वारा दो माह का किराया रू. 1400/– प्रेषित किया, जो वादी द्वारा बिना उसके अधिकार को प्रभावित किये हुये आपत्ति अधीन प्राप्त किया गया। यह भी अभिवचनित किया गया था कि प्रतिवादी को मई 2016 से अवशिष्ट (बकाया) किराया देना था, किन्तु उसने जवाब में यह असत्य रूप से उल्लेखित किया था कि कोई किराया बकाया नहीं है एवं वह माह दिसम्बर 2016 और जनवरी 2017 के लिए किराया भेज रहा है। यदि दो माह का किराया मई व जून 2016 का समायोजित कर भी लिया जाता है, तब भी यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी को जुलाई 2016

से किराया देना है और यहां तक कि प्रतिवादी ने सूचना पत्र प्राप्ति के पश्चात् भी उसे भुगतान नहीं किया है। इस प्रकार वादी, प्रतिवादी से विवादित दुकान का अवशिष्ट (बकाया) किराया और सद्भावी आवश्यकता के आधार पर गैर रिहायशी प्रयोजन के लिए धारा 12(1–ए) एवं 12 (1–एफ) म.प्र.स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत निष्कासन की डिक्री पाने का अधिकारी है।

<u>प्रतिवादी के अभिवचन –</u>

प्रतिवादी ने वादोत्तर प्रस्तुत किया एवं यह स्वीकार किया कि वह विवादित दुकान का किरायेदार है। प्रतिवादी विवादित दुकान में वर्ष 2016 से बतौर किरायेदार काबिज है। विवादित दुकान वादी की मां स्व. लीलावती ने छः सौ रूपये मासिक की दर से किराये पर दिया था। वादी की मां ने बीस हजार रूपये प्रतिभूति के रूप में लिया था। लीलावती की मृत्यु के बाद वादी किराया संग्रहित कर रहा है और धीरे–धीरे किराया सात सौ रूपये प्रतिमाह तक बढ़ा दिया। इस बात से इंकार किया गया कि वादी का पुत्र वयस्क है और वह स्नातकोत्तर होकर बेरोजगार है। इस बात से भी इंकार किया गया कि मण्डीदीप की फैक्ट्री वर्ष 2012 में बन्द हो गई और वादी फैक्ट्री बन्द होने के बाद बेरोजगार हो गया। वादी एक दुकान में भारतीय जीवन बीमा निगम एवं यू.टी.आई. का व्यवसाय कर रहा है जो विवादित दुकान से लगी हुई है और जिसमें एस.टी.डी., पी.सी.ओ. का भी व्यवसाय चल रहा है। वादी की दो और दुकानें भी रिक्त पड़ी हैं और इसलिए वादी और उसके पुत्र के लिये विवादित दूकान की सदभाविक आवश्यकता से इंकार किया गया है। प्रतिवादी ने यह भी इंकार किया कि गैर आवासीय प्रयोजन के लिए वादी के पास भोपाल नगर निगम की सीमाओं में कोई अन्य वैकल्पिक स्थान नहीं है। प्रतिवादी पर कोई भी किराया अवशिष्ट (बकाया) नहीं है। वादी अपनी इच्छानुसार रसीदें जारी करने का आदी है। सूचना पत्र दिनांकित 08.11.2018 की अर्न्तवस्तुयें इंकार की गई और यह अभिवचन किया गया कि सूचना पत्र दिनांकित 08.11.2018 का उसने उपयुक्त उत्तर दिनांक 28. 11.2018 को भेज दिया था। कोई भी किराया राशि लेना शेष नहीं है। यह कि विवादित दुकान के प्रथम तल पर, एक बड़ी दुकान स्थित है जिसमें डा. मेघा जैन का दवाखाना चला रहा था, जो उनके द्वारा वर्ष 2017 में रिक्त कर दिया गया, जिसे वादी ने फायनेंस कंपनी को वर्ष 2017 में किराया बढ़ाकर पुनः किराये पर दे दिया है। स्व. लीलावती ने जो बीस हजार रूपये अग्रिम लिया था, उसे किराये में समायोजित नहीं किया गया है। वादी के पास अभी भी दो रिक्त दुकानें हैं। वादी सात सौ रूपये मासिक किराया राशि को बढ़ाकर नौ सौ रूपये प्रतिमाह करने में रूचि रखता था और प्रतिवादी पर किराया बढ़ाने का दबाव डालने के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है।

<u>FRAMING OF CHARGES</u>

Q.2 Frame a charge/charges on the basis of facts given here under - - 10 Marks

<u>PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS</u> -

In brief, the case of the prosecution is that Yadunath Singh Chauhan performed marriage of his daughter Ku. Urmila Devi with

Raghvendra Pratap Singh resident of village Bhadwan, P.S. Malwan, Distt. Fatehpur in February, 2014 and gave Rs. 2,00,000/- in cash Rs. 1,00,000/- in the form of utensils and other dowry items and spent Rs. 2,00,000/- in the reception of the marriage party. Smt. Urmila Devi visited her father-in-law's house 3-4 times but every time her father-in law Ramnath Singh, mother-in-law Smt. Maya Devi sister-in-law Ku. Nandni Singh made complaints regarding insufficiency of dowry. They tortured her very frequently and also threatened to kill her. The deceased conveyed this to her mother and father 2-3 months prior to the date of occurrence. When the father of deceased went to bring her from her husband's house, all the accused persons complained about inadequate dowry and in fact they demanded a Bullet Motor cycle and double bed and told that Urmila will be allowed to go with him only when the above demands were fulfilled. Then, he promised to give motor cycle after winter crop but due to bad crop, he was unable to fulfill the demand of motor cycle. On 11-10-2018 at 9:00 in the morning in their house, all the accused burnt her daughter with intention to commit murder. She was brought to the hospital. According to the doctor, the burn injuries were spread all over the body and were of 3rd to 4th degree and burning was to the extent of 90%. Same day upon intimation, SDM arrived at 6:55 PM in the hospital but the patient had already expired at 5:35 p.m. due to said burn injuries. The FIR was lodged by deceased's father Yadunath Singh against all four accused persons and after investigation they all were charge-sheeted, case was filed before CJM Fatehpur who committed it for trial.

निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर आरोप/ आरोपों की विरचना कीजिये।

<u>अभियोजन का प्रकरण/अभिकथन</u> –

अभियोजन का मामला संक्षेप मे इस प्रकार है कि यदुनाथ सिंह चौहान ने अपनी पुत्री कुमारी उर्मिला देवी का विवाह राघवेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम भदवान पुलिस थाना मलवां जिला फतेहपुर, से फरवरी 2014 मे किया था और विवाह में दो लाख रूपये नगद, और एक लाख रूपये के बर्तन व अन्य सामान दिए थे तथा शादी के स्वागत समारोह मे भी दो लाख रूपये खर्च किए थे। श्रीमति उर्मिला देवी अपनी ससुराल में तीन चार बार गई, परन्तु प्रत्येक बार उससे उसके ससुर रामनाथ सिंह, सास श्रीमति माया देवी, और ननद कुमारी नंदिनी सिंह ने विवाह मे अपर्याप्त दहेज की शिकायत की। वे उसे बार–बार प्रताड़ित करते थे और जान से मारने की धमकी भी देते थे। मृतिका (उर्मिला देवी) द्वारा इस बात की जानकारी अपने माता–पिता को घटना के दो तीन माह पूर्व दी गई। जब मृतिका के पिता उसे

लिवाने के लिए उसके पति के घर आए थे तो सभी अभियुक्तगण ने उनसे भी अपर्याप्त दहेज की शिकायत की थी और वस्तुतः एक बुलेट मोटर सायकल और डबल बैड की मांग की थी तथा यह कहा था कि वह उर्मिला को उनके साथ तभी जाने कि अनुमति देगें जब उनकी मांग पूरी होगी। तब उसने सर्दी की फसल आने के बाद मोटर सायकल देने का आश्वासन दिया था, परन्तु खराब फसल होने के कारण वह मोटर सायकल की मांग की पूर्ति करने मे असमर्थ रहा। दिनांक 11.10. 2017 को सुबह 09.00 बजे सभी अभियुक्तगण ने अपने घर मे उसकी पुत्री को हत्या कारित करने के आशय से जला दिया। उसे हास्पिटल लाया गया। चिकित्सक के अनुसार उसके सारे शरीर पर 90 प्रतिशत की सीमा तक तीसरी व चौथी डिग्री के जलने के घाव थे। सूचना दिए जाने पर शाम को 06.55 पी.एम. पर एस.डी.एम. चिकित्सालय पहुचे, परन्तु मरीज की उसके पूर्व ही 05.35 पी.एम. पर जलने की कथित चोटो से मृत्यु हो गई। मृतिका के पिता यदुनाथ सिंह द्वारा सभी चारों अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई गई और अनुसंधान उपरांत सभी के विरूद्ध अभियोग–पत्र पेश किया गया तथा अभियोग–पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहपुर के न्यायालय मे पेश किया गया जिनके द्वारा उसे विचारण हेतु उपार्पित किया गया।

JUDGMENT WRITING (CIVIL)

Q.3 Write a judgment on the basis of pleadings and evidence given hereunder after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts :-

- 40 Marks

Plaintiffs Pleadings :-

Gajanand plaintiff no.1 and Babulal plaintiff no.2 have stated that the defendant no.1 Goverdhan is real brother of them and they were members of joint Hindu family. After the death of their father Gyarsiram defendant no.1 Goverdhan used to look after agricultural operation of the family. The plaintiffs have further alleged that after the death of father Gyarsiram, the disputed property *i.e.* 5 acre agriculture land bearing survey no.14 situated in village Renhti Tahsil Sagar was partitioned among the three sons of Gyarsiram *i.e.* the plaintiffs and defendant no.1. Though the disputed property was in the name of defendant no.1 yet the whole disputed property was managed by the plaintiffs. The disputed land was partitioned among the plaintiffs and defendant no.1 orally in presence of Panch in the year 1969 and subsequently the deed of acknowledgment of partition was written in the year 1970 between the

plaintiffs and defendant no.1. The plaintiffs have further alleged that they are in possession after the oral partition. Thus the defendant no.1 Goverdhan had no right in the disputed land after the partition. Even though the defendant no.1 sold the disputed land to the defendant no.2 Prakashchandra on 15/01/1992 and the sale deed so executed by defendant no.1 in favour of defendant no.2 is not legal and the transaction is null and void. On the basis of above allegations, the plaintiffs have prayed that it should be declared that they are Bhooswami of the disputed land and the sale deed dated 15/01/1992 is null and void and consequently the defendant no.2 be restrained from making any interference in the possession of plaintiffs on the disputed land.

Pleadings of defendant no.1

Defendant no.1 Goverdhan died before filing the written statement. His legal representatives were taken on record and on behalf of them, written statement has been filed. They have admitted the entire pleadings of the plaintiffs and requested to pass a decree in favour of the plaintiffs as stated in the plaint.

Pleadings of defendant no.2

Prakash Chandra, defendant no.2 has denied the allegations made in the plaint and has stated that the disputed land is not property of Joint Hindu Family of the plaintiffs and the defendant no.1. Goverdhan, defendant no.1 was recorded as the Bhooswami of the disputed land and was in possession and the defendant no.2 has purchased the property from defendant no.1 after paying the entire consideration to him and after execution of the sale deed dated 15/01/1992 in his favour, he is in possession of the disputed land. It is also stated that defendant no.1 Goverdhan did not challenge the legality of the sale deed in his life time. The plaintiffs have no right and title on the disputed land and after execution of the sale deed, the defendant no.2 is in possession as owner. The plaintiffs have filed the suit with the connivance of the defendant no.1 and the document of acknowledgement of partition is a fabricated and concocted document, on the basis of which the plaintiffs could not get any right on the property. On the basis of aforesaid pleadings, defendant no.2 has prayed that the suit be dismissed with cost.

Plaintiff's Evidence **:-**

1. Gajanand plaintiff no.1 (P.W.1) and Babulal plaintiff no.2 (P.W.2) have stated in their statement that the disputed land was the property of joint Hindu family of them and defendant no.1. After the death of their father in 1969, the disputed land was partitioned and came in share of plaintiffs. In this regard, the deed of acknowledgement Ex.P.1 was written in the year 1970. After the partition, the disputed land came in their possession.

2. In cross-examination, Gajanand (P.W.1) has admitted that he has two brothers who are not parties in this case and apart from the disputed land, all brothers have 25 acre land and the same is being cultivated jointly by all the brothers.

3. On behalf of the plaintiffs scriber of the deed of acknowledgement Ex.P.1 Ramesh (P.W.3) has also been examined who has stated that Ex.P.1 was written as per direction of the parties of the document. The plaintiff has also produced certified copy of Khasra Panchsala Ex.P.2 which is relating to year 1965 to 1969 in which the disputed land is recorded in the name of defendant no.1 as Bhooswami and possession holder. Plaintiff has also produced certified copy of the report of patwari (Ex.P.3), which was submitted by him to the Tahsildar in the year 1992 and the certified copy of the Panchnama Ex.P.4 prepared by the patwari at the time of local inspection and certified copy of the report of revenue inspector (Ex.P.5) regarding demarcation of the land in which the inspector has recorded plaintiff's possession on the disputed land.

Evidence of defendant no.1 **:-**

On behalf of the defendant no.1, no evidence has been adduced.

Evidence of defendant no.2 **:-**

Prakash Chandra, defendant no.2 has stated that the defendant no.1 Goverdhan (D.W.1) was the owner of the land and it was in his possession and in revenue papers it was recorded in the name of defendant no.1, therefore, he purchased it after paying consideration and the defendant no.1 executed the sale deed Ex.D.1 in his favour and thereafter he delivered the possession of the disputed land to him. Since then he is in possession as an owner of the land. It is also stated that the

defendant no.1 in his lifetime never objected about the legality of the sale deed and the title and possession of the defendant no.2 on the land. It is also stated that at the time of mutation, neither the defendant no.1 nor the plaintiffs had made any objection before the revenue authority.

***Arguments of Plaintiff* :-**

The learned counsel of the plaintiffs has argued that from the statement of the plaintiffs and admission of defendant no.1 it is proved that the disputed land was the property of the Joint Hindu Family of plaintiffs and defendant no.1 and in the partition, the disputed land came in the share of plaintiffs. This fact is also proved by the deed of acknowledgement of partition Ex.P.1 which has been proved by the plaintiffs and its scriber (P.W.3). Similarly, the plaintiffs possession on the disputed land is also proved by oral and documentary evidence submitted by the plaintiffs, therefore, the plaintiffs are entitled to get relief as prayed for in the plaint.

***Arguments of defendant no.1* :-**

The learned counsel of the defendant no.1 has supported the aforesaid arguments of the plaintiffs.

***Arguments of defendant no.2* :-**

On behalf of the defendant no.2 the learned counsel has contended that the plaintiffs have failed to prove that the disputed land was the property of Joint Hindu Family of plaintiffs and defendant no.1. It has not been clarified by the plaintiffs as to how the disputed property was acquired by the plaintiffs and defendant no.1 as Joint Hindu Family property. The plaintiffs have not claimed that the disputed land was earlier owned by their father Gyarsiram or it was purchased by nucleus of Joint Hindu Family in the name of defendant no.1. It is also contended that the entire case of the plaintiffs is false and concocted. The document Ex.P.1 is a fabricated document which has been prepared by the plaintiffs with the connivance of his brother defendant no.1 after execution of the sale deed dated 15/01/1992. So far as admission of the legal representative of defendant no.1 in the written statement is concerned, it has no significance as it is settled law that after parting with the interest by a seller, any contrary assertion will not be an admission against the

buyer. It is also contended that if the document Ex.P.1 had been in existence since 1970, it would have been acted upon for mutation of title in the name of plaintiffs but that was not done and in this regard, no explanation has been advanced by the plaintiff in their statement. This circumstance also show that the Ex.P.1 is a fabricated document.

On behalf of the defendant no.2 learned counsel has also argued that it is not explained on behalf of the plaintiffs that why other two brothers have not been shown as the members of Joint Hindu family and why their shares have not been defined in the alleged disputed property and why other property of Joint Hindu Family property was not partitioned. The suppression of aforesaid facts in the pleadings shows that the entire case of the plaintiffs is based on baseless and bogus facts.

Similarly, the evidence regarding possession of the disputed property is also not reliable as the oral statement of the plaintiffs are not supported by any documentary evidence as documents Ex.P.2, Ex.P.3, Ex.P.4 have no evidentiary value without the statements of concerned revenue officers. There is no legal presumption regarding correctness of their contents. Therefore, the suit of the plaintiff is liable to be rejected.

निम्नलिखित अभिवचनों एवं साक्ष्य के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये एवं साक्ष्य का विवेचन करते हुए संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखिये –

वादी के अभिवचन :–

गजानन्द वादी क.1 एवं बाबूलाल वादी क.2 के अभिवचन है कि वे तथा प्रतिवादी क.1 गोवर्धन सगे भाई है एवं वे संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य थे। उनके पिता ग्यारसीराम की मृत्यु के बाद प्रतिवादी क.1 गोवर्धन परिवार का कृषि कार्य देखता था। वादीगण के आगे अभिकथन है कि पिता ग्यारसीराम की मृत्यु के बाद विवादित संपत्ति, जो कि भूमि सर्वे नंबर 14 रकबा 5 एकड़ स्थित ग्राम रेंहटी तहसील सागर में स्थित थी, का बंटवारा ग्यारसीराम के तीनों पुत्रों में हो गया। यद्यपि विवादित संपत्ति प्रतिवादी क.1 के नाम पर थी तथापि सम्पूर्ण वादग्रस्त सम्पति वादीगण द्वारा प्रबंधित की जाती थी। वादग्रस्त संपत्ति वर्ष 1969 में पंचों के समक्ष वादीगण एवं प्रतिवादी क.1 के मध्य मौखिक रूप में बांटी गई थी और बाद में वर्ष 1970 में वादीगण एवं प्रतिवादी क.1 के मध्य बंटवारे की अभिस्वीकृति का दस्तावेज लिखा गया। वादीगण ने आगे अभिकथित किया है कि मौखिक बंटवारे के बाद वे आधिपत्य में है। अतः प्रतिवादी क.1 के, विभाजन के बाद विवादित भूमि में कोई अधिकार नहीं थे। यद्यपि प्रतिवादी क.1 ने प्रतिवादी क.2 प्रकाशचंद्र को दिनांक 15/01/1992 को विवादित भूमि का विक्रय कर दिया है किन्तु प्रतिवादी क.1 द्वारा प्रतिवादी क.2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र वैध नहीं है एवं संव्यवहार प्रभावहीन एवं शून्य है। उक्त अभिकथनों के आधार पर वादीगण ने प्रार्थना की है

कि यह घोषित किया जाये कि वे वादग्रस्त संपत्ति के भूस्वामी है एवं विक्रय पत्र दिनांक 15/01/1992 शून्य एवं अप्रभावी है एवं परिणामस्वरूप, प्रतिवादी क्र.2 को वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के अधिपत्य में कोई हस्तक्षेप करने से रोका जाये।

<u>प्रतिवादी क्र.1 के अभिवचन</u> :—

प्रतिवादी क्र.1 गोवर्धन लिखित कथन प्रस्तुत करने से पूर्व ही मर गया। उसके विधिक प्रतिनिधिगण अभिलेख पर लिये गये एवं उनकी ओर से लिखित कथन प्रस्तुत किये गये है। उन्होंने वादीगण के संपूर्ण अभिवचनों को स्वीकार करते हुये, वादीगण द्वारा वाद पत्र में वर्णित सहायता की आज्ञप्ति उनके पक्ष में पारित किये जाने की प्रार्थना की है।

<u>प्रतिवादी क्र.2 के अभिवचन</u> :—

प्रतिवादी क्र.2 चंद्रप्रकाश ने वादपत्र में किये गये अभिवचनों को अस्वीकार किया है एवं अभिकथित किया है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी क्र.1 के संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति नहीं है एवं राजस्व दस्तावेजों में प्रतिवादी गोवर्धन वादग्रस्त भूमि के भूस्वामी के रूप में दर्ज था एवं आधिपत्य में था एवं प्रतिवादी क्र.2 ने पूर्ण प्रतिफल अदा कर प्रतिवादी क्र.1 से उक्त संपत्ति क्रय की है एवं दिनांक 15/01/1992 को उसके हित में विक्रय पत्र निष्पादन के पश्चात् वह वादग्रस्त भूमि के आधिपत्य में है। यह भी अभिकथित किया गया है कि प्रतिवादी क्र.1 गोवर्धन ने अपने जीवनकाल में उक्त विक्रय पत्र की वैधानिकता को चुनौती नही दी है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई स्वत्व व अधिकार नहीं है और विक्रय पत्र के निष्पादन के पश्चात् प्रतिवादी क्र.2 स्वामी के रूप में आधिपत्य में है। वादीगण ने प्रतिवादी क्र.1 के साथ मिलीभगत कर यह दावा प्रस्तुत किया है एवं बंटवारे का अभिस्वीकृति दस्तावेज मिथ्या गढ़ा गया एवं कूटरचित दस्तावेज है, जिसके आधार पर वादीगण को उक्त संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। उक्त अभिवचनों के आधार पर प्रतिवादी क्र.2 ने यह प्रार्थना की है कि वाद सव्यय निरस्त किया जाये।

<u>वादीगण की साक्ष्य</u> :—

1. वादी गजानन्द वा.सा.1 एवं बाबुलाल वा.सा.2 ने अपने कथनों में कहा है कि वादग्रस्त भूमि उनके एवं प्रतिवादी क्र.1 के संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति थी। वर्ष 1969 में पिता की मृत्यु के पश्चात् विवादित भूमि का बंटवारा हो गया एवं वादीगण के हिस्से में आई। इस संबंध में वर्ष 1970 में बंटवारे की अभिस्वीकृति विलेख प्रदर्श पी.1 लिखा गया। बंटवारे के बाद वादग्रस्त भूमि उनके कब्जे में आयी।

2. वादी गजानन्द वा.सा.1 ने अपने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके दो भाई और है जो प्रकरण में पक्षकार नहीं हैं, एवं वादग्रस्त भूमि के अलावा सभी भाईयों के पास 25 एकड़ भूमि है जो संयुक्त रूप से सभी भाईयों के द्वारा खेती की जाती है।

3. वादीगण की ओर से अभिस्वीकृति विलेख प्रदर्श पी.1 के लेखक रमेश वा.सा.3 का परीक्षण कराया गया है जिसने कहा है कि दस्तावेज प्रदर्श पी.1 दस्तावेज के पक्षकारों के निर्देशानुसार लिखा गया है। वादीगण की ओर से वर्ष 1965 से वर्ष 1969 के खसरा पंचसाला प्रदर्श पी.2 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्र.1 के नाम भूस्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज है। वादी ने पटवारी प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी.3 भी प्रस्तुत किया है जो उसके द्वारा तहसीलदार को वर्ष 1992 में दी गयी थी तथा पटवारी

द्वारा स्थल निरीक्षण के समय तैयार किये गये पंचनामा प्रदर्श पी.4 की प्रमाणित प्रति एवं राजस्व निरीक्षक के द्वारा भूमि के सीमांकन के संबंध में दिये गये प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति जिसमें राजस्व निरीक्षक ने वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य होना दर्ज किया है, प्रस्तुत किया है।

<u>प्रतिवादी क.1 की साक्ष्य</u> :—

प्रतिवादी क.1 की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

<u>प्रतिवादी क.2 की साक्ष्य</u> :—

प्रतिवादी क.2 प्रकाशचंद्र प्र.सा.1 का कथन है कि वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी क.1 स्वामी था और वह उसके आधिपत्य में थी तथा राजस्व कागजातों में भी प्रतिवादी क.1 के नाम दर्ज थी, इस लिये उसने उसे प्रतिफल अदा कर क्रय किया था एवं प्रतिवादी क.1 ने उसके हित में विक्रय पत्र प्रदर्श डी.1 निष्पादित किया था एवं उसके बाद उसने विवादित भूमि का आधिपत्य उसे दिया था तभी से वह उक्त भूमि पर स्वामी के रूप में आधिपत्यधारी है। यह भी कहा है कि प्रतिवादी क.1 ने अपने जीवनकाल में कभी भी विक्रय पत्र की वैधानिकता एवं वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क.2 के स्वत्व व आधिपत्य के बारे में कोई आपत्ति नहीं की। यह भी कहा है कि राजस्व प्राधिकारियों के समक्ष नामान्तरण की कार्यवाही के समय भी वादीगण एवं प्रतिवादी क.1 की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई थी।

<u>तर्क वादीगण</u> :—

वादीगण के विद्वान अभिभाषक के तर्क है कि वादीगण के कथनों एवं प्रतिवादी क.1 की स्वीकृति से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति थी एवं विभाजन में वादग्रस्त भूमि वादीगण के हिस्से में आई। यह तथ्य बंटवारे की अभिस्वीकृति के दस्तावेज प्रदर्श पी.1 जो कि वादीगण के कथनों एवं लेखक वा.सा.3 के कथन से प्रमाणित है। उसी प्रकार वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। फलतः वादीगण वादपत्र में वर्णित सहायता पाने के अधिकारी है।

<u>तर्क प्रतिवादी क.1</u> :—

प्रतिवादी क.1 के विद्वान अभिभाषक ने वादीगण के उक्त तर्को को समर्थन किया है।

<u>तर्क प्रतिवादी क.2</u> :—

प्रतिवादी क.2 के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि वादीगण यह साबित करने में असफल रहे है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी क.1 के संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति थी। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क.1 के संयुक्त हिन्दू परिवार को यह संपत्ति कैसे प्राप्त हुई थी। वादीगण का यह दावा नहीं है कि पूर्व में यह भूमि उनके पिता ग्यारसीराम के स्वामित्व की थी या संयुक्त हिन्दू परिवार के (न्यूक्लियस) **नाभिक/केन्द्रक** द्वारा प्रतिवादी क.1 के नाम से क्रय की गई। यह भी तर्क दिया है कि वादीगण का पूरा मामला मिथ्या एवं मनगढ़ंत है। बंटवारे का दस्तावेज प्रदर्श पी.1 कूटरचित दस्तावेज है जो दिनांक 15/01/1992 को विक्रय पत्र निष्पादन के बाद प्रतिवादी क.1 से मिलीभगत कर वादीगण द्वारा तैयार किया गया है। जहॉ तक प्रतिवादी क.1 के विधिक प्रतिनिधिगण द्वारा लिखित कथन में की गई स्वीकृति का प्रश्न है उसका कोई महत्व नहीं है

क्योंकि यह सुस्थापित विधि है कि विक्रेता द्वारा अपने हित को छोड़ने के बाद की गई किसी प्रकार की विरोधी स्वीकृति, क्रेता के विरूद्ध स्वीकृति नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि दस्तावेज प्रदर्श पी.1 वर्ष 1970 से अस्तित्व में होता तब वादीगण के द्वारा स्वत्व के नामान्तरण की कार्यवाही की जाती जो कि नहीं की गई और न ही इस संबंध में वादीगण ने अपने कथनों में कोई स्पष्टीकरण दिया है। यह परिस्थिति भी यह प्रकट करती है कि दस्तावेज प्रदर्श पी.1 कूट रचित दस्तावेज तैयार किया गया है।

प्रत्यर्थी क्र.2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया है कि वादीगण के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अन्य दो भाईयों को संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य क्यों नहीं दर्शित किया गया है एवं विवादित संपत्ति में उनके हिस्से का निर्धारण क्यों नहीं किया गया है और अन्य संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति का बंटवारा क्यों नहीं किया गया है। इन तथ्यों को अभिवचन में छिपाये जाने से यह प्रकट होता है कि वादी का संपूर्ण वाद निराधार एवं बनावटी तथ्यों पर आधारित है।

इसी प्रकार विवादित संपत्ति के कब्जे के संबंध में साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है क्योंकि वादीगण का मौखिक कथन किसी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है एवं दस्तावेज प्रदर्श पी.3, व प्रदर्श पी.4 का राजस्व अधिकारियों के कथन के अभाव में कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है। उनमें वर्णित तथ्यों की सत्यता की कोई वैधानिक उपधारणा नहीं है। फलतः वादी का वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

JUDGMENT WRITING (CRIMINAL)

Q.4 Frame the charge and write a judgment on the basis of the allegations and evidence given hereunder by analyzing the evidence, keeping in mind the relevant provisions of the relevant laws. - 40 Marks

Prosecution case :-

The Prosecution case is that on 26-3-2006, an information was given by Kamal Kishore to police that his younger brother Ramkumar, aged about 20 years, is residing along his maternal aunt Kishori in village Ramdeva. At about 7 in the morning, Charan Singh, his cousin brother came to his village Ramgada and enquired that whether Ramkumar has come or not? When he replied that Ramkumar has not come, then he insisted that he should come to village Ramdeva. He came to Ramdeva, where he was informed by Kishori, that the whereabouts of Ramkumar are not known. Yesterday at about 8 P.M., the son of Bhagwan Singh had taken him with him thereafter, he has not come back. Then he, his uncle Badam Singh, Ram Singh, Lakhan, Ramdas all went to the house of Bhagwan Singh and found that nobody was there in the house of Bhagwan Singh. Fire was burning near his house. Blood was lying on the

roof of the house of Bhagwan Singh, therefore, he got suspicious. He found a bone in the fire therefore; it appears that the dead body of his brother is burning. Therefore, he lodged the report. On the basis of the report, the police started inquest enquiry. During enquiry, it was found that it is a case of murder, therefore, F.I.R. was registered under Section 302,201 of I.P.C. During investigation, spot map was prepared, blood stained and plain earth was seized, remains of burnt bones and ash were seized, a calculator from the spot was seized, broken piece of bangles were seized. Senior Scientific Officer, scene of crime, inspected the spot and prepared a report. Blood stained underwear and baniyan of the accused Bhagwan Singh were seized. The statements of witnesses were recorded and after completing the investigation, the police filed a charge sheet against the accused Bhagwan Singh under Sections 302, 201 of I.P.C. and against Kallu, Chandra Prakash, Siyasharan, and Sheela for offence under Sections 201 read with 34 of I.P.C.

Defence Plea :-

The Sessions Court framed charges under appropriate Sections. The accused persons, abjured their guilt and pleaded not guilty.

Evidence for prosecutions :-

Kamal Kishore (P.W.3) and V.K. Parashar (P.W.11) have stated that the burnt bones of human being, were seized from the pyre near house of Bhagwan Singh vide seizure memo Ex. P.7. The burnt bones were sent to F.S.L. Gwalior for obtaining serology report. The serology report, Ex. P. 17 has been proved by V.K. Parashar (P.W.11). According to this report, "Bones appeared to be of human being and were burned in abundant amount of air on high temperature. Dr. R.P.Soni (P.W.14), the Senior Forensic Specialist, has stated his Opinion that : (a) Bones are of human in origin (b) Bones belongs to same individual (c) Sex is male (d) Age 20 to 25 years (e) Cause of death remains open as no injury found on the available bones.

Ratiram (P.W.1) has stated that he and Komal Singh were coming back to their house from Sitapur. They met with the accused Bhagwan Singh near the village Chhekuri. It was about 11-12 P.M. The Bhagwan Singh told them that he has killed Ramkumar Jatav. He also informed that as Ramkumar, used to create problems in his house, therefore, he has killed him. This witness was cross-examined in detail. In cross-examination, this witness, denied that he had informed the police that the accused had informed that since, Ramkumar had illicit relations with his wife, and he had seen them in a compromising position, therefore, he has killed him. Kishori (P.W.6) has stated, that Ramkumar was staying with

her. Bhagwan Singh came to her house, and took the deceased Ramkumar with him, on the pretext of harvesting the crop. However, in the case diary statement, Kishori (P.W.6) had stated that Pushpendra, the son of Bhagwan Singh had come to call the deceased. Mukesh (P.W.5), Kishori (P.W.6), Ram Singh (P.W.7), have specifically stated that a funeral pyre was found near the house of the accused Bhagwan Singh and a dead body was burning. A spot map Ex. P.6 was prepared by V.K. Parashar (P.W.11) in the presence of Kamal Kishor (P.W.3) and the pyre was found quite nearer to the house of the accused Bhagwan Singh. Panchnama of Pyre, Ex. P.8 was prepared by V.K. Parashar (P.W.11) in the presence of Ram Singh (P.W.4).

Ram Singh (P.W.7) has stated that in the morning, while he was going to answer the call of the nature, he had seen the accused Bhagwan Singh standing by the side of the place, where fire was burning. He returned back around 5:30 A.M. in the morning and at that time, Bhagwan Singh was not there. Dr. K.K. Asthana (P.W.9), had inspected the spot and had given his report which is Ex. 12. On spot inspection, following situation/articles were found, A Pool of Human Blood was found on the roof of the house of the accused Bhagwan Singh. Three broken pieces of flagstone with blood stains were found on the roof of the house of Bhagwan Singh and on joining, it was found that the broken pieces were of single flagstone. Two broken legs of a bed with blood stains were found on the roof of the house of the accused Bhagwan Singh. On the boundary wall of the roof of the house of the accused Bhagwan Singh, blood stains were found which were going downwards, indicating that the dead body was thrown, on the ground, from the said place. Blood was found on the ground, which indicates the place, where the dead body had fallen. The trails of blood were found and the marks of dragging the dead body were found on the ground, going up to the pyre. Cow-dung cake were found burning and burnt human bones were found in the pyre. A buckle of belt and Kada were found from the ashes.

After conducting the spot inspection, this witness came to a conclusion that someone was killed on the roof of the house of the accused Bhagwan Singh after some struggle and his dead body was thrown from the roof on the ground and thereafter it was burnt. The photographs of the place were also taken which are the part of the police case diary. In cross examination, it was stated by this witness that the kada and the buckle of the belt were identified by the relatives of the deceased. After the incident, the accuse Bhagwan Singh had absconded. Ratiram (P.W.1) and V.K. Parashar (P.W.11) have stated that a blood stained baniyan and underwear was seized from the possession of the

Bhagwan Singh by seizure memo Ex. P.2. As per the report of the F.S.L.Gwalior, Ex. P.15, blood was found on the underwear of the accused.

<u>Evidence for Defence</u> :-

Accused Kallu, Chandra Prakash, Siyaram and Sheela examined DW-1 Devendra who states that on the date of incident these accused persons were with him in a marriage ceremony 100 K.M. away from village Ramdeva. But accused Bhagwan Singh did not examine any witness in the defence.

<u>Arguments of Prosecution</u> :-

It is submitted by public prosecutor that the prosecution has proved the chain of circumstantial evidence beyond reasonable doubt. The accused Bhagwan Singh has made extra Judicial Confession and was last seen in the company of the deceased as the decased was called from the house of Kishori (P.w.6) and after some struggle on the roof of the house of the accused, the decased Ramkumar was killed and his dead body was thrown on the ground from the roof and the dead body was burnt by Bhagwan Singh with the help of other accused persons.

<u>Arguments of Defence Counsel</u> :-

The accused Counsel submitted that, it is clear that the evidence of the prosecution witnesses was not reliable. There is no admissible evidence available on record. The case is based on circumstantial evidence and the chain of circumstances is not complete. The dead body of the deceased could not be identified, therefore, it cannot be said that Ramkumar has been killed. The prosecution has not proved any motive in the present case. Accused are falsely implicated in this case and prosecution has not proved its case beyond reasonable doubt.

नीचे दिये गये अभियोजन के मामले के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये तथ्यों, साक्ष्य व तर्कों के आधार पर विचारणीय बिन्दु बनाकर, एक सकारण निर्णय लिखिये –

<u>अभियोजन का प्रकरण</u> :–

अभियोजन का प्रकरण यह है कि दिनांक 26.03.2006 को एक सूचना कमल किशोर के द्वारा पुलिस को दी गई कि उसका छोटा भाई रामकुमार आयु लगभग 20 वर्ष, उसकी मामी किशोरी के साथ ग्राम रामदेवा में निवास करता था। सुबह लगभग 7 बजे चरण सिंह जो कि उसका चचेरा भाई है , उसके पास ग्राम रामगादा में आया और पूंछा कि क्या रामकुमार आया है अथवा नहीं। उसने बताया कि रामकुमार नहीं आया है, तब उसके चचेरे भाई ने जोर दिया कि ग्राम रामदेवा चलना

चाहिये। वह ग्राम रामदेवा आया, जहां उसे किशोरी द्वारा बताया गया कि रामकुमार कहां है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। कल रात करीब 8 बजे भगवान सिंह का पुत्र उसे अपने साथ बुलाकर ले गया था और उसके बाद वह वापस नहीं आया है। फिर वह, उसके चाचा बादामसिंह, रामसिंह, लखन, रामदास सभी भगवान सिंह के घर पर गये और पाया कि वहां भगवान सिंह के घर पर कोई नहीं था। उसके घर के पास आग जल रही थी। भगवान सिंह के मकान की छत पर खून फैला हुआ था, इस कारण उन्हें संदेह हुआ। आग के ढेर में उन्होंने हड्डी पायी थी, जिसे देखकर ऐसा लगा कि उसके भाई का मृत शरीर जल रहा है। इसलिए उसने रिपोर्ट लेख कराई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने तहकीकात प्रारंभ की। जांच के दौरान यह पता चला कि यह मामला हत्या का है जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 302, 201 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दर्ज की गई। विवेचना के दौरान नक्शा मौका तैयार किया गया, खून के धब्बे वाली और सादी मिट्टी जप्त की गई। जली हुई हड्डियों के अवशेष व राख जप्त की गयी। घटना स्थल से एक केलक्युलेटर जप्त किया गया, चूड़ी के टुकड़े जप्त किये गये। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 'सीन ऑफ क्राईम' के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और रिपोर्ट तैयार की गई। अभियुक्त भगवान सिंह के खून के धब्बे वाला अंडरवियर और बनियान जप्त की गई। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये और अनुसंधान पूर्ण करने के पश्चात् पुलिस द्वारा भगवान सिंह के विरूद्ध धारा 302, 201 भा0दं0वि0 के अंतर्गत तथा आरोपी कल्लू, चन्द्रप्रकाश, सियाशरण एवं शीला के विरूद्ध धारा 201 सहपठित धारा 34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अभियोग पत्र पेश किया गया।

प्रतिरक्षा अभिवाक् :–

सत्र न्यायालय द्वारा उचित धाराओं में आरोप विरचित किये गये तब अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित करने से इंकार किया गया तथा स्वयं को निर्दोष बताया।

अभियोजन की साक्ष्य :–

कमल किशोर (अ.सा.3) एवं वी.के. पाराशर (अ.सा.11) द्वारा कथन किया गया है कि मानव शरीर की जली हुई हड्डियों को भगवान सिंह के मकान के पास चिता से प्रदर्श पी.7 द्वारा जप्त किया गया था। जली हुई हड्डियों को एफ.एस.एल. ग्वालियर सीरम विज्ञान रिपोर्ट के लिए भेजा गया था। सीरम वैज्ञानिक की रिपोर्ट प्रदर्श पी–17 वी.के. पाराशर (अ.सा.11) द्वारा प्रमाणित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार हड्डियां मानव शरीर की प्रतीत होती हैं, जिन्हें उच्च ताप एवं हवा की प्रचुर मात्रा में जलाया गया है। डॉ. आर.पी. सोनी (अ.सा.14) वरिष्ठ फोरेंसिक विशेषज्ञ ने अपने कथन में यह राय दी है कि (अ) हड्डियां मानव शरीर की हैं। (ब) हड्डियां एक ही व्यक्ति की हैं। (स) व्यक्ति (लिंग) पुरूष है। (द) आयु 20 से 25 वर्ष है। (ई) मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हड्डियों पर कोई चोट नहीं पाई गई है।

रतिराम (अ.सा.1) द्वारा यह कथन किया गया है कि वह व कोमल सिंह ग्राम सीतापुर से अपने घर वापस आ रहे थे। वे ग्राम छेकुरी के निकट अभियुक्त भगवान सिंह से मिले। उस समय दिन के 11–12 बजे थे। अभियुक्त भगवान सिंह ने उन्हें

बताया कि उसने रामकुमार जाटव को मार दिया है। उसने यह भी बताया कि रामकुमार उसके घर में परेशानी खड़ी करता था, इसलिए उसने उसको मार दिया है। इस साक्षी से विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने इंकार किया है कि उसने पुलिस को ऐसा बताया था कि अभियुक्त ने उसे बताया था कि रामकुमार के उसकी पत्नी से अवैध संबंध थे, और उसने दोनों को सहमत अवस्था में देखा था, इस कारण उसने मारा है। किशोरी (अ.सा.6) द्वारा कथन किया गया है कि रामकुमार उसके साथ रहता था। भगवान सिंह उसके घर आया और फसल काटने के लिए कह कर रामकुमार (मृतक) को अपने साथ ले गया। यद्यपि किशोरी (अ.सा.6) ने अपने केस डायरी स्टेटमेंट में यह बताया है कि पुष्पेन्द्र जो कि भगवान सिंह का पुत्र है, मृतक को बुलाकर ले गया था। मुकेश (अ.सा.5), किशोरी (अ.सा.6), रामसिंह (अ.सा.7) ने विशेष रूप से कथन किया है कि भगवान सिंह के घर के पास आग (चिता) जल रही थी, जिसमें एक मृत शरीर जल रहा था। नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 वी.के. पाराशर (अ.सा.11) द्वारा कमलकिशोर (अ.सा.3) की उपस्थिति में तैयार किया गया और यह पाया गया कि चिता अभियुक्त भगवान सिंह के घर के बिल्कुल नजदीक है। चिता का पंचनामा प्रदर्श पी–8 भी वी.के. पाराशर (अ.सा.11) द्वारा रामसिंह (अ.सा.4) की उपस्थिति में तैयार किया गया।

रामसिंह (अ.सा.7) ने यह कथन किया है कि सुबह जब वह नित्य क्रिया (शौच) के लिए जा रहा था, तो उसने अभियुक्त भगवान सिंह को जहां आग जल रही थी, उसके पास देखा था, और जब वह सुबह लगभग 5:30 बजे वापस लौटा, तब भगवान सिंह वहां नहीं था। डॉ. के.के. अस्थाना (अ.सा.9) द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है, और अपनी रिपोर्ट जो प्रदर्श पी–12 है, पेश की है, इस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित स्थिति/वस्तुये घटना स्थल पर पाई गयी:– भगवान सिंह के घर की छत पर खून का तालाब मौजूद था। एक पत्थर की पटिया के तीन टूटे हुये टुकड़े जिन पर खून के दाग थे, भगवान सिंह छत पर पाये गये, जिन्हें जोड़ने पर पाया गया कि वह एक ही पटिया के टुकड़े हैं। पलंग के पांव के दो टूटे टुकड़े खून के दाग सहित भगवान सिंह की छत पर पाये गये। भगवान सिंह की छत की बाउंड्री वाल पर खून के धब्बे पाये गये जो नीचे की तरफ जाते थे, जिनसे प्रकट होता था कि मृत शरीर को वहां से नीचे फैंका गया है। नीचे ग्राउंड(भूमि) पर खून पाया गया, जिससे वह स्थान प्रकट होता था जहां मृत शरीर गिरा है। ग्राउंड (भूमि) पर खून के निशान और मृत शरीर को खींचने के निशान जो कि चिता तक जा रहे थे, पाये गये। उपले चिता में जलते हुये पाये गये तथा मानव शरीर की हड्डियां चिता में पाई गईं। बेल्ट का बक्कल और एक कड़ा भी चिता की राख में पाया गया। घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद साक्षी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी व्यक्ति की आरोपी भगवानी सिंह के मकान की छत पर कुछ संघर्ष के उपरान्त हत्या की गई, और उसके मृत शरीर को छत से ग्राउंड (भूमि) पर फेंका गया, जहां उसे जलाया गया। घटना स्थल के फोटो लिये गये, जो पुलिस डायरी में संलग्न हैं। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी के द्वारा यह कहा गया कि बेल्ट के बक्कल और कड़ा की पहचान मृतक के रिश्तेदारों द्वारा की गई। घटना के पश्चात् अभियुक्त भगवान सिंह फरार हो गया था। रतिराम (अ.सा.1) और वी.के. पाराशर (अ.सा.11) द्वारा यह कथन किया गया है कि खून के धब्बे लगी हुई एक बनियान

और अंडरवियर अभियुक्त भगवान सिंह के कब्जे से जप्ती पत्रक प्रदर्श पी.2 के द्वारा जप्त किये गये। एफएसएल ग्वालियर की रिपोर्ट प्रदर्श पी–15 अनुसार अभियुक्त के अंडरवियर पर खून पाया गया।

बचाव साक्ष्य :–

अभियुक्त कल्लू, चन्द्रप्रकाश, सियाराम एवं शीला की ओर से ब.सा.1 देवेन्द्र का परीक्षण कराया गया जिसने कथन दिया है कि घटना दिनांक को वह इन अभियुक्तगण के साथ ग्राम रामदेवा से 100 कि.मी. दूर एक विवाह समारोह में शामिल था। भगवान सिंह की ओर से प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये।

अभियोजन का तर्क :–

अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क किया गया है कि अभियोजन द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित किया गया है। अभियुक्त भगवान सिंह ने न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की है और वह आख़िरी बार मृतक के साथ देखा गया है जैसे कि मृतक को किशोरी (अ.सा.6) के घर से बुलाया गया, और कुछ संघर्ष के बाद अभियुक्त ने अपनी छत पर रामकुमार की हत्या कर दी और उसके मृत शरीर को नीचे ग्राउंड पर छत से फेंक दिया, तथा रामकुमार के मृत शरीर को भगवान सिंह द्वारा अन्य अभियुक्तगण की सहायता से जला दिया गया।

बचाव अधिवक्ता का तर्क :–

बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि अभिलेख पर आई साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियोजन के साक्षी विश्वसनीय नहीं हैं, कोई भी स्वीकार्य योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और परिस्थितियों की कड़ियां पूर्ण नहीं होती हैं। मृतक के मृत शरीर की कोई पहचान नहीं हुई है। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि रामकुमार की हत्या हुई है। अभियोजन द्वारा वर्तमान मामले में कोई हेतुक प्रमाणित नहीं किया गया है। अभियुक्तगण को इस मामले में झूंठा फंसाया गया है एवं अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है।

****